**<u>अति तत्काल</u>**

**संख्या एन-22/2/2021-पी एण्ड सी**
**भारत सरकार**
**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**
**(उपभोक्ता मामले विभाग)**

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15 सितम्बर, 2021

**विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए अगस्त, 2021 माह का मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।**

*******

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **अगस्त, 2021** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. सहायक निदेशक, राजभाषा प्रभाग।

## उपभोक्ता मामले विभाग
## अगस्त, 2021 माह का मासिक सारांश

अगस्त, 2021 के माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप/निर्णय।

### 1. आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमत

तूर, उड़द और मूंग के आयात की लगातार निगरानी की जा रही थी। अप्रैल से अगस्त 2021 के मध्य 7.59 लाख मीट्रिक टन दालों का आयात किया गया, जो कि 2020 और 2019 में इसी अवधि के दौरान क्रमश: 7.29 लाख मीट्रिक टन एवं 7.18 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। कार्गो का ठहराव समय जुलाई के अंतिम सप्ताह में 6.96 दिनों से घटकर अगस्त के अंतिम सप्ताह में 5.99 दिन हो गया था। पादप संगरोध निकासी के मुद्दे को डीए एवं एफडब्ल्यू के साथ आगे बढ़ाया गया था जिसके बाद उक्त विभाग द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए अपेक्षित आदेश जारी किया गया था। बफर में दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पिछले माह 1 लाख मीट्रिक टन मसूर आयात करने का निर्णय लिया गया था, तथा उसके बाद की आवश्यक प्रक्रिया शुरू की गई है।

### 2. भारतीय मानक ब्यूरो

2.1 बीआईएस ने 25-26 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आईबीएसए गुणवत्ता अवसंरचना संगठन की 5वीं त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में भारत; ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय मानकों, अनुरुपता मूल्यांकन, प्रत्यायन एवं मापविज्ञान निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

2.2 आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, देश में एक गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की गई थी, अर्थात् 'मेक इन इंडिया-मार्चिंग अहेड विद क्वालिटी फूटवियर पर एक वेबिनार'; स्वयं सहायता समूहों के लिए एक जागरुकता कार्यक्रंम; 'गुणवत्ता में स्वतंत्रता से आत्मनिर्भरता तक सामूहिक यात्रा' पर केंद्रित उद्योग जगत की एक बैठक; 'सूक्ष्म सिंचाई मानक: आत्म-निर्भर भारत की ओर एक मार्ग' पर एक वेबिनार।

### 3. आवश्यक वस्तु अधिनियम

31 अगस्त, 2021 तक देश भर से डीलर, आयातक, मिलर और स्टॉकिस्ट जैसी 11445 संस्थाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया था और दालों के कुल 3181769.01 मीट्रिक टन स्टॉक की घोषणा की थी। 25 अगस्त, 2021 को 17 राज्यों को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें 217 संस्थाओं का विवरण दिया गया था, जिनकी घोषणाओं में अनुमेय सीमा से ऊपर स्टॉक होल्डिंग दर्शाया गया था।